सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 11, मंगलवार, *शाके* 1944-जनवरी 31, 2023 *Magha 11, Tuesday , Saka 1944- January 31, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त(जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 31, 2023

जी.एस.आर.114 .–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक **एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017**दिनांक 20-12-2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त(जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 20, 2022

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (तृतीय संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 42 का संशोधन.-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 42 के उप-नियम (3) में,-

(i) खण्ड (iii) के अन्त में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "या", हटायी जायेगी;

(ii) खण्ड (iv) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न"।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) इस प्रकार संशोधित, खण्ड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (v) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(v) गोपालन विभाग की नंदीशाला स्कीम से संबंधित उपापन में बोली लगाने वाला।"

3. नियम 75 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 75 के उप-नियम (1) में,-

(i) खण्ड (iii) के अन्त में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "या" हटायी जायेगी;

(ii) खण्ड (iv) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न"।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii)इस प्रकार संशोधित, खण्ड (iv) के पश्चात्, और विद्यमान अभिव्यक्ति "तथापि, उनसे एक कार्य संपादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।"से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (v) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(v) गोपालन विभाग की नंदीशाला स्कीमों से संबंधित उपापन में बोली लगाने वाला।"

[एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.